[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION 46

New Delhi, the 14 September, 2018

S.O…….(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Rajasthan State Dental Council', Jaipur, a body constituted by the Government of Rajasthan, in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

(a) sale of application form;
(b) renewal fees of Dentists, Dental Hygienists and Dental Mechanics;
(c) fees of good standing;
(d) Dentist provisional registration fees;
(e) Additional qualification fees;
(f) late fees;
(g) no objection certificate fees;
(h) re-issue of certificate fees (duplicate certificate fees);
(i) Continuing Dental Education Programme fees; and
(j) interest income accrued on above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Rajasthan State Dental Council, Jaipur,-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the assessment years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2017-2018 and 2018-2019 shall apply with respect to the assessment years 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022.

[Notification No. 46/2018, F.No.300196/13/2017-ITA-I]

V. S. Gautam

(Vinay Sheel Gautam)
Under Secretary to the Government of India

Explanatory Memorandum:-It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना -46

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 2018

का. आ... (अ) –आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, राजस्थान सरकार द्वारा गठित बोर्ड, राजस्थान स्टेट डेन्टल काउंसिल को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात :-

(क) आवेदन पत्रों का विक्रय;
(ख) दंत चिकित्सकों, दंत स्वच्छता तथा दंत प्रक्रिया की नवीकरण फीस;
(ग) गुड स्टेंडिंग संबंधी शुल्क,
(घ) दंत चिकित्सक अस्थायी पंजीकरण शुल्क;
(ङ) अतिरिक्त योग्यता शुल्क;
(च) विलंब शुल्क;
(छ) अनापत्रि प्रमाणपत्र शुल्क;
(ज) प्रमाणपत्र शुल्कों का पुनः जारी किया जाना (डुप्लीकेट प्रमाणपत्र शुल्क);
(झ) डेन्टल एजुकेशन प्रोग्राम फीस का बने रहना; और
(ञ) उपरोक्त से अर्जित ब्याज से आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'राजस्थान स्टेट डेन्टल काउंसिल,'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 के लिए लागू होगी।

(अधिसूचना सं. 46 /2018 फा. सं. 300196/13/2017-आईटीए-I)

विनय शील गौतम

(विनय शील गौतम)
अवर सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली.